प्रेस नोट 31/07/2019

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

मऊ। आज दिनांक 31.07.19 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **कोपागंज पुलिस** द्वारा इन्दारा चट्टी से मु0अ0सं0 176/19 धारा 363,366 भादवि में वांछित अभियुक्तगण नीरज कुमार सिंह पुत्र आशनारायण सिंह निवासी देवढिया, दीपक पुत्र शिवनाथ निवासी नगरा थाना नगरा, थाना **हलधरपुर पुलिस** द्वारा रतनपुरा बाजार से मु0अ0सं0 191/18 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोस्को एक्ट में वांछित अभियुक्त रामदयाल पुत्र साहब पासवान निवासी खिरीहरापुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

मऊ। आज दिनांक 31.07.19 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा सत्यपाल पुत्र राघवशरण निवासी बहरामपुर, अनिल पुत्र रामचन्द्र निवासी कुनकुडीह थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 23 व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 31.07.19 को थाना **कोपागंज पुलिस** द्वारा उमर, फारूख निवासीगण वाजीदपुरा, बुध्दिराम, श्रीराम, संजय निवासीगण जहनियापुर थाना कोपागंज, थाना **दोहरीघाट पुलिस** द्वारा महेन्द्र निवासी गंगवापार थाना दोहरीघाट, थाना **कोतवाली पुलिस** द्वारा श्रवण, चन्दन, सुनील, आशीष निवासीगण मठियाटोला, दिलीप, चन्द्रजीत निवासीगण भीटी, अजय निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली, थाना **चिरैयाकोट पुलिस** द्वारा मंगरू, दुधनाथ निवासीगण सिरसा, फुलगेन, गिरजा निवासीगण भटौली, जवाहिर, राजेन्द्र निवासीगण बहलोलपुर, सुनील निवासी भवानीपुर थाना चिरैयाकोट, थाना **सरायलखन्सी पुलिस** द्वारा श्यामलाल निवासी राघोपट्टी थाना सरायलखन्सी, थाना घोसी पुलिस द्वारा अंगद, अविनाश निवासीगण टेघना थाना घोसी मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

बालिका सुरक्षा अभियान में 10 स्कूल/कालेजों में 4170 छात्राओं को किया गया जागरुक–

जनपद मऊ पुलिस अधीक्षक **श्री अनुराग आर्य** के निर्देशन में जुलाई माह दिनांक 01.07.19 से 31.07.19 तक चलाये जा रहे बालिका सुरक्षा जागरुकता अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.07.19 को जनपद के 10 थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रार्न्तगत स्कूलों/कालेजों क्रमशः थाना **चिरैयाकोट पुलिस** टीम द्वारा बैजनाथ जगरनाथ विद्यास्थली इण्टर कालेज में 200 छात्राओ, थाना **दक्षिणटोला पुलिस** टीम द्वारा आलिया गर्ल्स इण्टर कालेज में 653 छात्राओं, थाना **दोहरीघाट पुलिस** टीम द्वारा मां शारदा विद्यालय में 150 छात्राओं, थाना **घोसी पुलिस** टीम द्वारा पूर्वांचल महिला पी0जी0 कालेज में 493 छात्राओं, थाना **हलधरपुर पुलिस** टीम द्वारा योगीराज इण्टर कालेज में 488 छात्राओं, थाना **कोतवाली पुलिस** टीम व **महिला थाना** द्वारा माडर्न पब्लिक स्कूल में 860 छात्राओं, थाना **मधुबन पुलिस** टीम द्वारा एसवी चिल्ड्रेन स्कूल में 300 छात्राओं, थाना **मुहम्मदाबाद पुलिस** टीम द्वारा राजकीय इण्टर कालेज में 300 छात्राओं, थाना **रानीपुर पुलिस** टीम द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 89 छात्राओं, थाना **सरायलखन्सी पुलिस टीम व साइबर टीम** द्वारा उदय नारायण इण्टर कालेज में 637 छात्राओं सहित कुल 10 स्कूलों/कालेजों में 4170 छात्राओं को महिला सुरक्षा उपाय, यूपी–100, 1090 वूमेन पावर लाईन, 181 महिला हेल्पलाईन, महिला प्रकोष्ठ तथा सुरक्षा के

MEDIA CELL MAU

लिये क्या–क्या ध्यान देने योग्य बातों के सम्बन्ध में अहम जानकारियां दी गयी। इस दौरान भारी संख्या में स्कूल/ कालेज के छात्राओं सहित अध्यापकगण उपस्थित रहे।

आगमी त्यौहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आज दिनांक 31.07.19 को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी मऊ श्री ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य की अध्यक्षता में पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बोधित करते हुए बताया गया कि आगामी सभी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सभी तैयारी कर ली गई। जिसमें जनपदीय पुलिस के साथ अन्य इकाईयां (एलआईयू, साईबर सेल व सर्विलांस सेल) को विशेष रूप से एलर्ट पर रखा गया है यदि कोई भी सोशल मीडिया(ह्वाट्सअप, फेसबुक व अन्य) के माध्यम से गलत/आपत्ति जनक पोस्ट अथवा कोई अफवाह फैलाता है तो कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ जनपद में थाना स्तर पर भी सम्भ्रान्त व्यक्तियों, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, चौकीदारों के उपस्थित में पीस कमेटी मीटिंग आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान के क्रम में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा सयुक्त रूप से निम्नलिखित **दिशा निर्देश जारी किये गये है–**

1. ग्रुप एडमिन वहीं बने जो ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का वहन करने में समर्थ हो।

2. अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से ग्रुप एडमिन पूर्णतः परिचित होने चाहिए।

3. ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलत बयानी, बिना पुष्टि के समाचार जो अफवाह बन जाये पोस्ट किये जाने पर या सामजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमिन को तत्काल उसका खण्डन कर उस सदस्य को ग्रुप से हटाना चाहिए।

4. अफवाह/भ्रामक तथ्य/ सामजिक समरसता के विरूध्द तथ्य पोस्ट होने पर सम्बन्धित थाना को भी तत्काल सूचना दी जानी चाहिए जिससे वैधानिक कार्यवाही हो सके।

5. ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्हें भी इसका दोषी माना जायेगा और उनके विरूध्द भी कार्यवाही की जायेगी।

6. दोषी पाये जाने पर आईटी एक्ट/साईबर क्राईम व आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

7. किसी भी धर्म के नाम पर भावनाओं को आहत करन वाले पोस्ट किसी भी ग्रुप में डाले जाने पर समाज में तनाव उत्पन्न होने की सम्भवना रहती है ऐसे पोस्ट करने या किसी अन्य ग्रुप को फारवर्ड करने पर आईटी एक्ट व आईपीसी की सुसंगत धाराओं के आधार पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

इस दौरान समस्त प्रशासनिक/पुलिस अधिकारीगण, समस्त थानाध्यक्ष व जनपद के सभी सम्प्रदायों के सम्भ्रान्त व्यक्ति भारी संख्या में उपस्थित रहें।

MEDIA CELL MAU